लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 21 to 32]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक, 26 मंगलवार, 22 अगस्त, 1978/31 श्रावण, 1900 (शक)
No. 26, Tuesday, August 22, 1978/Sravana 31, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्य सभाओं के चुनावों के दौरान, श्री कान्तिभाई देसाई द्वारा भारी धन राशियां एकत्र करने के समाचार के बारे में स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment *re*: Reported Collection of large sums of money by Shri Kantibhai Desai during elections to State Assemblies . .	1—3s
संविधान (45वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-Fifth Amendment)	3—9
खंड 45 से 49 पर विचार।	Bill—Consideration of Clauses 45 to 49	9—13
खण्ड 2, 3, 8, 9, और 11 पर मतदान	Voting on Clauses 2, 3, 8, 9 and 11 .	13—30
बोनस के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Bonus— . . .	30
श्री रविन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . . .	30

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 अगस्त, 1978/31 श्रावण, 1900 (शक)

Tuesday, August 22, 1978/Sravana 31, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Cloc k

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

राज्य सभाओं के चुनावों के दौरान, श्री कान्तिभाई देसाई द्वारा भारी धन राशियां एकत्र करने के समाचार के बारे में स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT RE: REPORTED COLLEC TION OF LARGE SUMS OF MONEY BY SHRI KANTIBHAI DESAI DURING ELECTIONS TO STATE ASSEMBLIES

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं ।

कार्यसूची में दर्ज सभा के कार्य को स्थगित करने के बारे में मुझे सर्वश्री के० लकप्पा, सी० के० चन्द्रप्पन, एडुआर्डो फैलीरो, सौगत राय, वसन्त साठे तथा बयालार रवि से स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार पर चर्चा करने की मांग की गई है कि विधान सभा चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री के पुत्र श्री कान्ति देसाई द्वारा जनता दल की ओर से काफी अधिक धनराशि एकत्र की गई । इसके समर्थन के लिये उन्होंने समाचारपत्रों की कतरनें भी मेरे समक्ष प्रस्तुत की हैं।

जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि श्री कान्तिभाई देसाई द्वारा धन एकत्रित करने के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया था या उसे एकत्रित करने के लिए किसी प्रकार के गैर-कानूनी तरीके अपनाये गये । समाचार में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि धन एकत्रित करवाने में प्रधान मंत्री का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ था।

बिना किसी कानून का उल्लंघन किये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धनराशि एकत्रित करना जुर्म नहीं है । यदि श्री कांतिभाई देसाई ने धन एकत्रित करते समय किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है तो इसके लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

जो लोग सत्ता में हैं या सत्ताधारी व्यक्तियों के निकट संबंधी हैं, उनके द्वारा धन एकत्रित किये जाने पर, यह संदेह किया जा सकता है कि सम्भवतः उन्होंने सरकारी तंत्र या सत्ता का दुरुपयोग, किया हो । यह एक राजनीतिक प्रश्न है । इस प्रकार के मामलों का समाधान या तो अपेक्षित कानून बना कर किया जाना चाहिये या इसके लिए उपयुक्त परम्परायें स्थापित की जानी चाहिय । मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।

उक्त कारणों के सन्दर्भ में इन प्रस्तावों के बारे में अपनी अनुमति नहीं दे सकता । नियम 184,197 तथा 377 के अधीन दिये गये प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है । कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है, इसमें उनके लिए सम्भवतः कुछ समय निर्धारित किया जा सकता है ।

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष महोदय हमें कार्य मंत्रणा समिति के रहम पर छोड़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब भी कभी आपने किसी विषय पर चर्चा करवानी चाही हैं आप कार्य मंत्रणा समिति से अनुरोध करते आये हैं तथा प्रायः आप का अनुरोध मान लिया जाता रहा है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : अध्यक्ष महोदय को सदन के इस ओर के लोगों तथा सदन के अधिकांश सदस्यों और सदन के बाहर के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये । जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है तभी से हम यह मांग करते आ रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में कुछ मंत्रियों द्वारा अपने पदों का त्याग किया गया है, उनके बारे में सदन में चर्चा की जानी चाहिये परन्तु अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है । अन्ततः उसके बारे में दो पत्र यहां रखे गये । मैंने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दी थी तथा हम उस पर चर्चा करना चाहते थे । यह मामला पिछले दो सप्ताहों से लम्बित पड़ा है । हमने कार्य मंत्रणा समिति से अनुरोध किया है कि इसके लिए समय दिया जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं किया गया है । अब यह भ्रष्टाचार का मामला आया और इस के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई । इसे भी अस्वीकार कर दिया गया है । अब अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वह नियम 184 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक कि यह विचार पूरा नहीं हो जाता । यह अविलम्बनीय मामला है । परन्तु फिर भी हमें कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय देने तक प्रतीक्षा करने को कहा गया है । ऐसी इस प्रतीक्षा से हमें किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है । सरकार को अभी यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा के लिए शीघ्र ही समय उपलब्ध करवाया जायेगा । अगर इस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है तो निश्चय ही हमें कुछ संतोष हो जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति में विरोधी पक्ष अल्पसंख्या में है । जब विरोधी पक्ष द्वारा न्याय की मांग की जाती है तो इसे समय नहीं दिया जाता है । ऐसा हमारा अनुभव रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दल के नेता ने यह आरोप लगाया है कि विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करवाये जाते । उन्होंने अपनी बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही है । वस्तु स्थिति यह है कि केवल एक प्रस्ताव को छोड़ कर, जितने भी प्रस्ताव इन्होंने कार्य मंत्रणा समिति को दिये हैं, वह स्वीकार कर लिये गये हैं तथा उनके लिए शीघ्र ही समय दिया गया है । जब कभी भी मैंने कोई सिफारिश की है, कार्य मंत्रणा समिति ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया ।

श्री के० गोपाल : आपको केवल नियमों के पीछे नहीं जाना चाहिये । नियम तो है ही तथा रहेंगे भी, परन्तु इसके साथ ही औचित्य की सिद्धांत तथा अध्यक्ष के स्वेच्छा के अधिकार को भी दृष्टिगोचर नहीं किया जा सकता ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : विरोधी दल के नेता द्वारा कार्य मंत्रणा समिति के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है, वह पूर्णतया निराधार है । जब कभी भी कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष कोई मामला लाया जाता रहा है तथा सरकार से उसके लिए समय देने के लिए कहा जाता रहा है, सरकार उसके लिए समय देती ही रही है चाहे ऐसा करने के लिए इसे अपने काफी महत्वपूर्ण कार्यों को भी पीछे करना पड़ा हो । सरकार सदा ही उनको समय देती रही है । यदि इस सत्र के दौरान

विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न प्रस्तावों तथा चर्चाओं का अध्ययन किया जाये, तो उससे पता चलेगा कि इस सदन का अधिकांश समय उन्हीं के चर्चाओं पर व्यतीत हुआ।

जहां तक इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय निकालने का प्रश्न है, यह कार्य कार्य मंत्रणा समिति का ही है। जब यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष आयेगा तो उस समय में विरोधी पक्ष के सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें समय दिलाने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम चाहते हैं कि इस पर कल ही चर्चा कर ली जाये। सदन के नेता के साथ विचार-विमर्श करने के बाद अध्यक्ष महोदय इसके लिए हमें कल समय दे दें। इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति को भेजना आवश्यक नहीं है।

संविधान (45वां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (FORTY-FIFTH AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhu Bani) : It is being provided in clause 45 that if an amendment of the Constitution seeks to make any change which if made, would have the effect of "impairing the secular or democratic character" of the Constitution then, it will have to be approved by the people of India at a referendum. I would like to add the word 'socialistic', after 'impairing', so that even if the socialistic character of the Constitution is impaired by any amendment then that would also have to be approved by a referendum.

It is being further provided in that clause that "any such amendment shall be deemed to have been approved by the people of India if such amendment is approved by a majority of voters voting at such poll and the voters voting at such poll constitute not less than fifty one per cent of the voters entitled to vote at such poll". This will mean that 26 per cent of the voters will be able to change the character of our Constitution which is not proper. Therefore, the provision should be so amended as to provide that any such amendment shall be deemed to have been approved in the course of such referendum if such amend ment is approved by a majority of 51 per cent of the total number of voters.

Another provision of clause 45 which requires to be changed is that the result of such referendum will not be called in question in any court. When we talk so much about the role of judiciary why should this restriction be put in the Constitution ? Therefore the proviso barring the courts should be deleted.

श्री बी० सी० काम्बले (बंबई दक्षिण-मध्य) : जहां तक संशोधन करने वाले उपबन्धों का संबंध है, उसके अनुसार खण्ड 45 में जो उपबन्ध किये गये हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः सरकार के मन में यह बात स्पष्ट नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन के किन उपबंधों को रख लिया जाये और किन उपबन्धों को हटा दिया जाये। ऐसा लगता है कि उपखण्ड (1) को रखा जा रहा है, एक परन्तुक जोड़ा गया है और उपखण्डों (4) और (5) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उपखण्ड (1) को बनाये रखने से, संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के अनुसार संविधान के किन्हीं भी उपबन्धों में संशोधन या उसका निरसन कर सकती है। यदि संसद के पास यह शक्ति होगी तो फिर जनमत संग्रह से जनता की मंजूरी के लिये क्या शेष रह जायेगी। इसलिये जनमत संग्रह संबंधी उपबन्ध व्यर्थ साबित होगा।

जहां तक जनमत संग्रह संबंधी उपबन्धों का संबंध है, इसके बारे में दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये न कि केवल एक ही सदन द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये । अन्यथा संसद में फिर गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा । एक बार फिर संसद तथा न्यायपालिका में विवाद उठ खड़ा होगा और सम्भवतः हम कारगर रूप से कार्य नहीं कर पायेगें ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): भारत को संवैधानिक दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिये इस विधेयक का खंड 45 बहुत महत्वपूर्ण है । प्रजातंत्र की रक्षा संविधान से ही नहीं हो सकती । 42वें संविधान संशोधन में "सेकुलर एंड सोशियलिस्ट" शब्दों का जोड़ना अनावश्यक था । अब इन्हें हटाया जा रहा है । इससे लोगों के बीच यह गलत धारणा पैदा हो जायेगी कि हम धर्मनिर्पेक्षता तथा समाजवाद के विरुद्ध हैं । अतः उन्हें हटाना कठिन है। अतः इन्हें रहने दिया जाये।

जनमत संग्रह का जो प्रावधान अब रखा गया है वह यह है कि यदि किसी संशोधन द्वारा "धर्म-निर्पेक्षता अथवा प्रजातंत्रीय" ढांचे का उल्लंघन होता हो तो इसकी स्वीकृति लोगों से लेनी होगी । मेरा सुझाव है कि "प्रजातंत्रीय" शब्द के स्थान पर "प्रजातंत्रीय समाजवादी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रतीत होता है कि ऐसी गलत धारणा पैदा हो रही है कि हम केवल लोगों को ही अधिकार दे रहे हैं । पहले तो संसद संशोधन को स्वीकार करेगी और उसके बाद लोगों के पास जायेगा और यदि लोग इसे स्वीकार न करें तो यह कानून नहीं बनेगा।

प्रावधान के अनुसमर्थन के लिये कम से कम 51 प्रतिशत लोग मत देने आते हैं और यदि 51 प्रतिशत से अधिक दिये गये वैध मत हों तो यह संविधान का भाग बन जायेगा । मैं इस प्रावधान को कुछ और सख्त चाहता हूं और चाहता हूं कि दिये गये वैध मत 51 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत होना चाहिये । 51% लोग तो मतदान के लिये आने चाहिये और इनमें से 75% लोगों को इसके लिये वोट देने चाहिये ।

अधिक अच्छा होता यदि जनमत संग्रह की रूपरेखा तथा कानून बनाने का काम संसद के लिये ही छोड़ा जाता । उस दशा में यह मामला अधिक विवादग्रस्त न होता।

श्री वी० अरूणाचलम् (तिरुनेलवेली) : मैं जनमत संग्रह संबंधी प्रावधान का स्वागत करता हूं । संसद में जन प्रतिनिधियों की शक्तियां हमेशा सीमित रही है । इसी कारण संसद को लोगों की स्वीकृति बिना संविधान के बुनियादी ढांचे को संशोधित करने का अधिकार नहीं है ।

अब इस संशोधन द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे तथा उसकी व्याख्या के लिये सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका आदि आदि स्पष्ट हो गयी है । जनमत् संग्रह प्रावधान से संविधान संशोधन संबंधी संसद की शक्तियां कम नहीं होती है । दूसरे शब्दों में यह संसद के लोगों की स्वीकृति से बुनियादी संशोधन करने का आदेश देता है । लोगों की इच्छा जानने के लिये जनमत संग्रह एक सर्वोत्तम माध्यम है ।

किसी प्रजातंत्र में सरकार अथवा राजनैतिक दल की नीतियों में परिवर्तन आना साधारण बात है। लेकिन एक प्रजातंत्र में इस प्रकार से परिवर्तन लोगों की सहमति से लाये जाने चाहिये । जनमत संग्रह इसके लिये एक सर्वोत्तम माध्यम है । विश्व के अधिकांश संविधानों में जनमत संग्रह का प्रावधान है ।

हमने संविधान के चार बुनियादी तत्वों को जनमत संग्रह द्वारा संशोधित करने की योजना बनायी है । लेकिन दुर्भाग्यवश हम संविधान के संघीय ढांचे तथा अन्य तत्वों की रक्षा नहीं कर सके । यदि यह सरकार संविधान के संघीय तत्व राज्यों के स्वरूप तथा अनेक जातियों की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती तो राज्य सरकारों के काम में बाधा आयेगी । सरकार को संघीय तत्व को संविधान का बुनियादी तत्व मानने की मांग को स्वीकार करना चाहिये।

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : I support this amendment. This controversy is going on since the judgement on the Keshvanand Bharati case. We congratulate the Law Minister for bringing an amendment with a view to solve the controversy of basic structur which is going on since this judgement. No law concerning the unity and integrity of the country should be passed by the parliament without the consent of the people. I support this amendme nt.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं इस लोक मत के खण्ड की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं और 30 वर्ष के अनुभव से हमें पता है कि लोग व्यक्ति को देखकर मत देते हैं। यदि देश पर बाध्य हमला होता है तो सम्पूर्ण संसद बगाय आपात स्थिति की घोषणा करेगी। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई अत्यन्त लोकप्रिय प्रधान मंत्री है तो वह केवल 26 प्रतिशत मत से संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर सकता है। क्या उन्हें रोकने का कोई उपबन्ध है। यदि विधि मंत्री चाहते हैं संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना सरकार के लिए कठिन हो तो वैसा करने का ढंग और है।

ऐसा उपबन्ध होना चाहिए कि संसद अपनी इच्छानुसार संविधान में संशोधन कर सके। यदि लोकमत से संविधान में संशोधन होने लगा तो हमारे देश को कोई नहीं बचा सकेगा। सरकार कहेगी कि लोगों ने ऐसा किया है। हमारे हाथों से शक्ति निकल जायेगी। लोकमत के बिना हम भी संशोधन में संशोधन नहीं कर सकेंगे।

श्री चित्त बसु : (बारसार) : यह अच्छा है कि सरकार ने विधेयक के खंड 45 द्वारा लोगों की सार्वभौमिक सत्ता का सिद्धान्त स्वीकार किया है अन्यथा संसद् की तथाकथित सर्वोच्चता का दुरुपयोग हो सकता था जैसा कि आपात काल में किया गया।

मेरा सुझाव है कि लोकमत के उपबन्ध में यह जोड़ा जाये कि यदि संशोधन संविधान में निहित मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करता हो तो उस संशोधन पर भी लोक मत द्वारा जनता की अनुमति ली जाये। यह जरूरी है क्योंकि मेरा मत है हमारा देश संघीय राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुका है। केन्द्रीय सरकार की प्रणाली की भी प्रवृत्ति है। एक समय आ सकता है जब संविधान में निहित संघीय सिद्धान्तों में परिवर्तन की भी बात उठ सकती है। उस बारे में हमें सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए।

श्री ए० अशोकराज (पेराम्बलूर) : मैं लोकमत के उपबन्ध का स्वागत करता हूं लेकिन मेरे कुछ अपने विचार हैं। आज भाषा पर विवाद चल रहा है। यदि हिन्दी के दुराग्रही केवल हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा बनाना चाहे तो लोकमत को निश्चित रूप से लोगों पर थोपा जायेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि उस संशोधन को दो तिहाई राज्यों के विधान मंडलों की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए न कि केवल कुल राज्यों की आधी संख्या द्वारा।

श्री फैलीरो एडुआर्डो (मारप गोआ): जनमत संग्रह मात्र बहुसंख्यक धारणा है लोगों के सामने तोते के समान यह रट लगाना है आप प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं, हम आपको यह शक्ति देते हैं। संसदीय प्रणाली सरकार में भी लोगों की प्रभुसत्ता होती है। गत 30 वर्षों से संसद और न्यायापालिका, और संसद और कार्यपालिका के बीच सम्पर्क होता रहा है इस उपबन्ध को लाकर हम इस संघर्ष की ओर बढ़ा रहे हैं। उस समय क्या होगा जब एक कानून को संसद दो तिहाई मत से पास कर देती है और वहीं जनता द्वारा ठुकरा दिया जाता है? उस समय संसद की स्थिति क्या होगी? यह ठीक नहीं है इस प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है, जिसको कि वे लागू करना चाहते हैं।

उन देशों में जहां संविधान में जनमत संग्रह का उपबन्ध है, यह पद्धति काम नहीं कर रही है।

जनमत संग्रह का उपबन्ध युक्तियुक्त नहीं है। इससे संविधान मूल रूप का संशोधन किया जा रहा है। मेरे विचार से संविधान के मूल रूप में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन के द्वारा केवल अन्य पहलुओं में ही परिवर्तन किया जा सकता है केशवानी भारती के मामले में 13 न्यायाधीशों का पीठ भी यह तय नहीं कर पाया था कि संविधान का मूल स्वरूप क्या है। अतः मूल स्वरूप की बात एक तरफा है। कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : हमारा एक संघ है, राज्यों का एक संघ है तथा हमने एक संविधान को लिखा है। संसद भी इस लिखित संविधान के अधीन है। मैं उनसे सहमत नहीं जो संसद को सर्वोच्च मानते हैं क्योंकि उसके ऊपर संविधान है और उसके ऊपर भारत की जनता तथा जनता प्रभुसत्ता सम्पन्न है। मैं उनसे सहमत हूं जो संघ और संसदीय लोकतंत्र को मूल तत्व मानते है। हम इस बात पर तर्क कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं कि मूल तत्व कौन से है और फिर उनको ठोस स्वरूप प्रदान कर उन्हें मूल तत्व मानें।

मैं जनमत संग्रह के विरुद्ध हूं परन्तु जनता पर विश्वास करने के विरुद्ध नहीं परन्तु यदि सरकार कहती है कि उसने जनमत संग्रह की बात इसलिए रखी है क्योंकि उसे लोगों में अविश्वास हो तब वापस बुलाने का खण्ड क्यों नहीं रखा गया। जनमत संग्रह और वापिस बुलाना संविधान के जुड़वा सिद्धान्त हैं।

जनमत संग्रह के बारे में मेरे सन्देह हैं। पिछले छः आम चुनावों में से किसी में भी 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं पड़े। तब विधि मंत्री यह अनुमान कैसे लगा सकते है कि जनमत संग्रह में 51 प्रतिशत से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। यह उपबन्ध स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए 51 प्रतिशत लोग जनमत संग्रह में भाग नहीं लेते तो क्या वे बार-बार उनके पास जाएंगे जब तक 51 प्रतिशत मत मिल जाएं या क्या एक बार ही जनमत संग्रह होगा इसे स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त कि जनमत संग्रह एक मंहगा और सन्देहास्पद प्रक्रिया है, यह समस्या का हल नहीं। विदेशों में भी यह राज्य स्तर पर ही है संघ स्तर पर नहीं। यह भी डर है कि जनमत संग्रह से अपेक्षित परिणाम न निकले।

मै सदस्यों के इस कथन से भी सहमत हूं कि संविधान के किसी अंग को अपरिवर्तनीय क्यों बनाया जाये इससे क्रान्ति को आह्वान देना है। मेरे विचार से स्वतंत्रता, मूलभूत अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चुनाव, वयस्क मताधिकार आदि को जनमत संग्रह के द्वारा भी असंशोधनीय बनाया जाए।

श्री बी० के० नायर (मावेलीकरा) : देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह कराना अनुचित होगा। हमारे देश की जनसंख्या से इसमें समस्या पैदा हो जायेगी। 60 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 30 करोड़ व्यक्ति मतदान में भाग ले पायेंगे। अधिकांश चुनावों में 51 प्रतिशत लोगों ने कभी मतदान नहीं किया। संसद के दोनों सदनों में यदि यह विधेयक पास हो गया और यदि मतदान में 51 प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया तो इसका यह तात्पर्य होगा कि यह संशोधन समाप्त करना पड़ेगा। इससे यह मतभेद पैदा हो सकता है कि संसद ने लोगों में से अपना विश्वास खो दिया है और कोई भी व्यक्ति एक अन्य सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान कर सकता है।

इसके अतिरिक्त चुनावों में 30 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन व्यय केवल प्रशासन व्यवस्था पर ही होगा राजनीतिक दलों को भी तीन या चार गुना राशि व्यय करनी पड़ेगी अतः यह खर्च 100 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

जनमत संग्रह के लिए दो प्राक्रियाओं के बारे में विचार किया गया है। पहला है चुनाव एवं जनमत संग्रह और दूसरा है स्वयं में ही जनमत संग्रह कराना। चुनाव कराये बिना जनमत संग्रह के लिए कौन प्रचार करेगा। किसी को भी इसमें रुचि नहीं होगी। आम चुनावों में हमारे घोषणा पत्रों में भी

तथा कार्यकर्त्ताओं, संगठित दलों ने प्रचार किया था और सभाएं आदि की थीं। फिर भी 51 प्रतिशत मतदान नहीं हुआ। तब फिर केवल मात्र समाचार पत्रों एवं अन्य प्राचार माध्यमों में अपील करने से जनमत संग्रह के लिए कौन मतदान करने आयेगा ?

फिर अन्य मामले भी अर्न्तग्रस्त हैं। यदि चुनावों के दौरान जनमत संग्रह प्राप्त करना है तो कुछ दल इस संशोधन का विरोध कर सकते हैं और कुछ दल इसका समर्थन करेंगे। मानलों, चुनावों के पश्चात् संशोधन का विरोध करने वाले दलों का बहुमत हो जाये और वे सत्ता में आ जायें तो फिर क्या होगा ? वे संविधान का कैसे सम्मान करेंगे ? ऐसी ही स्थिति विधान सभाओं में भी पैदा हो सकती ?

एक अन्य पहलू भी है। गत आम चुनावों में उत्तर भारत की जनता ने एक दल के हक में मतदान किया था और दक्षिण में दूसरे दल के समर्थन में। लोग बहुत ही संवेदनशील हो गये हैं। जब उत्तर के लोगों ने एक संशोधन का अनुमोदन कर दिया तो दक्षिण के लोग स्वतः ही उसे अपने हितों के विपरीत मानेंगे। जब स्थिति ऐसी है तो क्या हम जनमत संग्रह कराते समय लोगों के सामने जा सकते हैं ? इससे देश का विभाजन हो जाएगा।

श्री शांति भूषण : मुझे प्रसन्नता है कि सभा के कई वर्गों से व्यापक समर्थन मिला है।

श्री पी० वेंकटसुब्बेया : आपके अपने दल के ही लोगों ने इसका विरोध किया है।

श्री शान्ति भूषण : जनमत संग्रह के सिद्धान्त को गुणों के आधार पर स्वीकार करने वाले सदस्य का मैं आभारी हूं लेकिन साथ ही मुझे खेद भी है कि कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। इस प्रश्न को स्पष्ट कर देना चाहूंगा।

कुछ सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की है कि इस खण्ड से यहां "हिन्दू राज" के द्वार खुल जायेंगे। सम्भवतः उन्होंने इसके एक ही भाग को देखा है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए लेकिन उपरोक्त आशंकाओं को दृष्टि में रखते हुए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत होना किसी संवैधानिक संशोधन के लिए अनिवार्य माना गया है। इस उपबन्ध विशेष के लिए भी संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत अनिवार्य माना गया है। इससे जनता और अल्प संख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस उपबन्ध को इसी भावना के साथ देखना होगा।

यह उपबन्ध संविधान में संशोधन करने के पश्चात् ही लागू होगा अर्थात् संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत के बारे में विचार करने के बाद ही लागू होगा और यदि आवश्यक समझा गया तो देश की आधे से अधिक विधान सभाओं की इस पर सम्मति प्राप्त की जायेगी।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुईं
Shrimati Parvati Krishnan in the Chair]

संविधान के अर्ध संघीय ढांचे पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकतन्त्र में निर्वाचित लोगों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि उनसे यह अपेक्षा होती है कि वे जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे।

जहां तक परोक्ष संशोधन का सम्बन्ध है यह सर्वविदित सिद्धान्त है, कि एक साधारण सा अधिनियम संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए। यदि संविधान के उपबन्धों को इस तरह विफल किया गया तो लोकतन्त्र और संविधान एक दम समाप्त हो जायेंगे। इसलिए संविधान में परोक्ष संशोधन साधारण अधिनियम के द्वारा नहीं किया जा सकता।

कुछ अन्य संशोधनों का सुझाव दिया गया है । लेकिन जनमत संग्रह की धारा का यही मूल आशय है कि यदि ऐसे कुछ सम्भाव्य संशोधनों से लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर प्रभाव पड़े तो वहां जनता का हस्तक्षेप अनिवार्य है और इसीलिए यह खण्ड लाया गया है। जहां जनता के ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहां यह अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन इससे असंशोधनीय बनाने के बजाये एक प्रक्रिया तैयार की गई है कोई भी सरकार आसानी से जनमत संग्रह की परिस्थितियां पैदा नहीं करेगी।

मैं पहले ही उन कारणों को स्पष्ट कर चुका हूं जिनसे जनमत संग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि संवैधानिक दस्तावेज सिद्धान्त मात्र नहीं है इसलिए यह व्यावहारिक दस्तावेज है अतः इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा । लेकिन जहां तक संविधान के हनन का सम्बन्ध है, यह कोई जटिल बात नहीं है, लेकिन विवादास्पद अवश्य ही हो सकती है ।

अब प्रश्न यह है कि कुछ सीमांत संशोधन आ सकते हैं जो देश के लिए अच्छे हो सकते हैं । लेकिन इसके बारे में दो मत सम्भव हैं कि क्या इससे धर्मनिरपेक्षता का हनन होगा या उसे बढ़ावा मिलेगा, क्या वयस्क मताधिकार की संकल्पना को इससे सहायता मिलेगी अथवा नहीं । इन सब बातों के लिए ज्यूरी या सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है । इसीलिए यह उपबन्ध की दोनों सदनों में से प्रत्येक के दो तिहाई के बहुमत से ही कोई संशोधन पास किया जायेगा और यदि केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े तो आधे से अधिक विधान सभाओं द्वारा इस पर सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । लेकिन इसमें सैद्धान्तिक सम्भाव्यता है जो वर्तमान परिस्थिति में व्यावहारिक बन जाती है ।

कुछ आधारभूत बातें ऐसी हैं जिनमें संशोधन नहीं होना चाहिए पर संविधान के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि फिर प्रश्न यही उठता है कि इसमें संसद की राय चलेगी अथवा कि उच्चतम न्यायालय की बात मानी जाएगी ।

हमारी संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली ऐसी है जिसमें सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पर एक तरह से अंकुश रखते हैं लेकिन फिर भी सारी सत्ता जनता के हाथ में है ।

जनमत संग्रह के प्रावधान से संबंधित प्रश्न को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कुछ लोगों ने कहा है कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद पर प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिएं । जनमत संग्रह के लिए उपबन्ध संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत की रक्षा नहीं करता है । यह एक नई बात जोड़ी गई है । संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत होना किसी संवैधानिक संशोधन के लिए अनिवार्य माना गया है । इससे जनता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा । इसे इसी भावना के साथ देखना होगा ।

यह उपबन्ध संविधान में संशोधन करने के उपरान्त ही लागू होगा अर्थात संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के बारे में विचार करने के बाद ही ।

जहां तक परोक्ष संशोधन का सम्बन्ध है, सर्वविदित सिद्धान्त है कि एक साधारण सा अधिनियम संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए । यदि संविधान के उपबन्धों को इस तरह विफल किया गया तो यह एक दम ही समाप्त हो जायेगा । अतः संविधान में परोक्ष संशोधन साधारण अधिनियमन के द्वारा नहीं किया जा सकता ।

कुछ अन्य संशोधनों का सुझाव दिया गया है । लेकिन जनमत संग्रह की इस धारा का यही मूल आशय है कि यदि कुछ ऐसे सम्भाव्य संशोधनों से लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर प्रभाव पड़े तो वहां जनता का हस्तक्षेप अनिवार्य है, और इसीलिए यह खण्ड लाया गया है । जहां जनता के ऐसे हस्तक्षेप

की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहां यह अनिवार्य नहीं होगा । लेकिन इससे असंशोधनीय बनाने के बजाये एक प्रक्रिया तैयार की गई ही है । कोई भी सरकार आसानी से जनमत संग्रह की परिस्थितियां पैदा नहीं करेगी ।

जनमत संग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता । जहां तक संविधान के हनन का सम्बन्ध है, यह कोई जटिल बात नहीं है । लेकिन प्रश्न यह है कि कुछ सीमान्त मामले हो सकते हैं जिनमें ज्यूरी का मत प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है कि उस मामले में धर्मनिरपेक्ष मामले पर कुप्रभाव पड़ेगा । इसीलिये यह संरक्षण लाया गया है । यदि किसी स्थिति में जनता के सामने जाना अनिवार्य हो गया ताकि वे स्वयं को और अपने हितों को पहचान सकें तो इसे असम्भव नहीं बनाना चाहिए ।

यह कहा गया है कि चुनावों में मतदान की संख्या कभी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी है ।

खण्ड 45 से 49

सभापति महोदय : खण्ड 46 के संबंध में कोई संशोधन नहीं है ।

खण्ड 47

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 47 पर विचार करेंगे ।

श्री० एच० एल० पटवारी (मंगलदाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 26 और 27 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एडुआर्डो फेंलीरो (मारमोगोंआ) मैं अपना संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत करता हू ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडा) : मैं अपने संशोधन संख्या 152 और 153 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन (मद्रास दक्षिण) : मैं अपने संशोधन संख्या 167 और 168 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोभानी) : मैं संशोधन संख्या 180 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 360 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जी० नरसिम्हा रेडी (आदिलाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 370 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अरूणाचलम (तिरूनेलवेल्ली): मैं अपना संशोधन संख्या 378 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri H. L. Patwari : I oppose the amendment which seeks to take out the item of education from the Concurrent list and put it into State list. The subject of education should be dealt with rising above the party lines. The Janata Party Standing Committee for Education has also passed a resolution to keep the item of education in the Concurrent list. The consultative Committee attached to the Ministry of Education has also recommended that 'Education' be included in the Concurrent list. But the Law Minister has simply given an assurance to reconisder the whole issue. Therefore my amendment should be accepted that education should be retained in the Concurrent list.

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम न्यायपालिका की निन्दा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास है और इससे केन्द्र के हाथ और अधिक बजबूत होंगे । न्यायपालिका के बारे में संविधान के अनुच्छेद 312 में संशोधन किया गया है ।

लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न राज्य सरकारों के न्यायोचित रुख को दृष्टि में रखते हुए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता नहीं है । अतः अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू करने या बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए । सरकार को यह 42वां संशोधन पास नहीं करना चाहिए । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

यह ठीक किया गया है कि सूची I में से मद संख्या 2(क) का लोप किया जा रहा है । केन्द्र से अर्ध सैनिक बलों को राज्यों में तैनात करने से यह शंका हो गई है कि विभिन्न राज्य सरकारों को नियन्त्रण में लिया जा रहा है । लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है ।

यह भी सराहनीय बात है कि शिक्षा को फिर से राज्य सूची में वापस लाया जा रहा है । लेकिन अब यह स्थिति पैदा हो गई है कि विभिन्न राज्यों में वहां की भाषाएं थोपी जा रही हैं । मैं ऐसे नियन्त्रण का विरोध करता हूं । जनता हिन्दी सीखना चाहती है । लेकिन यदि इसे थोपा गया तो लोग यह समझेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष की भाषा विशेष सीखने के लिए सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है । अतः राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का अलग स्थान हो ।

श्री हरिविष्णु कामत : खण्ड 47 में संशोधन देने का मेरा यही उद्देश्य है कि शिक्षा और वन विभाग समवर्ती सूची में ही रखे जाएं । तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा को भी समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : संविधान निर्माताओं ने यह ठीक ही सोचा था कि इस देश में सरकार की अर्ध-संघीय प्रणाली होनी चाहिये । कुछ राजनीतिक दलों ने विभिन्न नागरिकताओं और विभिन्न स्वतंत्र राज्यों के सिद्धान्त की बात कही है । हम इस सिद्धान्त से सहमत नहीं है । ये लोग इस देश की एकता और प्रभुसत्ता के प्रति वफादार नहीं हैं । अतः हम देश के हित में और देश की एकता के हित में इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये । मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस देश की भलाई के लिये और इस देश की एकता तथा सार्वभौमिकता के लिये शिक्षा को समवर्ती सूची में ही रखा जाना चाहिये ।

वनों को भी समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिये । इस देश को बाढ़ की बर्बादी से बचाने के लिये और वन सम्पदा के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वनों को समवर्ती सूची में लाया जाये समवर्ती सूची में विषय को लाने के मामले में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय होनी चाहिये । एक समय हमने यह दलील दी थी कि मुख्य सिंचाई समवर्ती सूची में होनी चाहिये । अभी भी कई जल विवाद हैं जो देश के विकास के लिये भारी बाधा हैं । अतः यह राष्ट्र हित में है कि इन दोनों विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाये ।

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : My amendment seeks to retain the item of education in the Concurrent List. There has been a teachers movement in Uttar Pradesh for a month or so, and the teachers also desire that education should be retained in Concurrent list. If it is not retained in the Concurrent List, the forces of disintegration in the country will divide the country into pieces. There has been a good deal of bungling in regard to three language formula. If it is desirable to maintain the solidarity of the country by bringing about the emotional integration in the country, the subject of education must be retained in the Concurrent List. Therefore education must not be removed from the Concurrent List.

At the same time forests should also be brought under Concurrent List so that country can be protected from the ravages of weather.

श्री एडुआर्डो फैलीरो: शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के विरुद्ध तर्कों का शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक तर्क हैं। तर्कों में मुख्यतः दो पहलू हैं। पहला, यह कहा गया है कि यदि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो राज्य की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, यदि राज्य सूची में शिक्षा नहीं रहती, और यदि इसे समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो दक्षिणी राज्यों में यह भय है कि हिन्दी भाषा नीति उनकी सहमति के बिना उनपर जबरजस्ती लागू की जायेगी। परन्तु शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का अर्थ राज्यों के क्षेत्राधिकार से शिक्षा को पूर्णतया निकालना नहीं है समवर्ती सूची से केवल ऐसा करने की शक्ति मिलती है। केन्द्र केवल कुछ मामलों में और वह भी भलाई के लिये हस्ताक्षेप करेगा। देश में पिछड़े और अन्य क्षेत्रों में विद्यमान असन्तुलनों को ध्यान में रखकर शिक्षा सम्बन्धी आम नीति केन्द्र के पास होनी चाहिये। एक ओर शिक्षित बेरोजगारी और दूसरी ओर भारी अशिक्षता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये जो शिक्षन को समवर्ती सूची में रखकर ही सम्भव है। केवल तभी समग्र नियंत्रण रखा जा सकता है। जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में शिक्षा को राज्य सूची में रखने का वचन दिया गया था। शिक्षाविदों का यह मत है कि इसे समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिये। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिये।

श्री पी० के० देव: 1952 में पहली लोक सभा ने राष्ट्रीय वन नीति लागू की थी। 25 वर्षों में हमने परिणाम इसके विपरीत ही देखे। जंगलों के नष्ट करने तथा पेड़ों के अंधाधुंध कटने के फल-स्वरूप अपूर्व बाढ़ें आयी हैं। सम्बन्धित अधिकारी इस बारे में उदासीन हैं। हमने जो वन नीति अपनायी है उसके अनुसार हमें देश में 33 प्रतिशत भाग में बन लगाने हैं लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 11 प्रतिशत से अधिक भाग में वन नहीं लगेगा। हमें बहुत जल्दी जलाने की लकड़ी की कमी का सामना भी करना पड़ेगा। अतः इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचा जाये और सभी राज्यों के लिये समान नीति बनायी जाये अतः बन तथा बन्य प्राणी का विषय समवर्ती सूची में ही रहने दिया जाये।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी): हमें समझ नहीं आती कि हमारे विधी मंत्री को अब भी निवारक नज़रबंदी से मोह क्यों बना हुआ है। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को ही निवारक कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। मैं तो निवारक नज़रबन्दी के विचार मात्र का ही विरोधी हूं। इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिये। निवारक कानून बनाने की शक्तियां राज्यों के पास नहीं होनी चाहिये और इसे समवर्ती सूची में नहीं रखा जाना चाहिये। मेरा सरकार को यही सुझाव है कि इन्हें केन्द्र सरकार के पास ही रखा जाना चाहिये।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद): शिक्षा तथा वनों को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिये। सरकार की वन नीति के अनुसार देश के 33 प्रतिशत भाग में वन लगाये जाने थे परन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक केवल 22 प्रतिशत क्षेत्र में ही बाग लग पाए हैं। यह बात और भी शोचनीय है कि आज राज्यों के बीच पेड़ों को काटने की अंधाधुंध दौड़ लगी हुई है। यदि हमें 'वन' के विषय को पूर्णत राज्य सरकारों को दे दें तो 10, 15 वर्षों के दौरान हमें कहीं भी कोई पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। सम्पूर्ण कृषि कार्य ठप्प हो जायेंगे। अतः फलस्वरूप एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी अतः हमें इस ओर अपेक्षित ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम वनों को इस प्रकार नष्ट होने से बचा लें।

श्री वी० अरुणाचलम (निरूनेबेली): विद्या मंत्री ने शिक्षा को राज्य सूची में लाकर उन आकांक्षाओं को पूरा कर दिया है जिनके लिए बहुत पहले यथा 1935 से ही प्रयास चले आ रहे थे। जो लोग शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना चाहते हैं, वह न जाने क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं का देश है।

हाल ही में कलकत्ता में शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें सर्वसम्मति से यह मांग की गई है कि 'शिक्षा' को राज्यों के विषय में ही रखा जाये ।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस खण्ड का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें 'शिक्षा' को इसका उपयुक्त स्थान पुनः प्रदान कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है । अब हम खण्ड 48 पर विचार करेंगे ।

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : इसके बारे में केवल यही बात विवादास्पद है कि शिक्षा को राज्य सूची में रखा जाये या इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाये । मैं समझता हूं.....

Shri Hassan : My submission is that Education must be placed in "Concurrent List".

श्री शान्ति भूषण : यदि कोई विषय समवर्ती सूची में होता है तो भी इस पर राज्य को अधिकार रहता है । यह मात्र व्यवस्था का प्रश्न है । इस मामले पर इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है ।

श्री दीनेत भट्टाचार्या (सीरमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामजेठामलानी (बंबई उत्तर पश्चिम) : मैं अपना संशोधन संख्या 266 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेत भट्टाचार्या : आपातस्थिति के दौरान सरकार ने संघीय लेखों का विभागीकरण किया था तथा विभागों को अपने लेखा परीक्षक रखने का अधिकार दे दिया गया था । इसलिए विधि मंत्री इस स्थिति पर पूर्णतः विचार करें तथा संशोधन में मद 92, 130 और 133 सम्मिलित करें ।

श्री राम जेटमेलानी : आपातस्थिति में संविधान के संशोधन पर छागला समिति की चर्चा की जाती थी । समिति ने 9वीं अनुसूची को निकाल देने की सिफारिश की थी । विधि मंत्री स्वयं इस पर सहमत थे ।

श्री शांति भूषण : श्री भट्टाचार्य ने मद 133 का उल्लेख किया है । यदि इसे 9वीं सूची से निकाल दिया जाता है तो कुछ लेखों का रखा जाना आवश्यक होगा ।

यदि 9वीं सूची को पूर्णतः निकाल दिया जाता है तो कुछ लाभदायक कानून रद्द हो जायेंगे ।

श्री हरिविष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान 42वें संशोधन अधिनियम में से धारा 18, 19, 21 और 22 आदि निकाली जा रही हैं। विधेयक के शीर्षक में संविधान 45वां संशोधन विधेयक उल्लिखित किया गया है।

इसलिए अंतिम खण्ड को संविधान में नहीं होना चाहिए।

श्री शान्ति भूषण: परन्तु वे खण्ड कभी उसमें नहीं लिए गये, अतएव यह कभी भी संविधान का अंग नहीं बना।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 234 प्रस्तुत करती हूं।

श्री शंकर देव (बीदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 371 प्रस्तुत करता हूं।

I have proposed 'Inter-dependent/ for 'Sovereign' and 'Sarvodaya' for 'Socialist'. So long as there is no international peace there cannot be happiness "Sovereign' means, that 'Supreme' power of a state over a citizen unrestrained by law. This word creates confusion. Sovereignty is negative of democracy. Similarly, I have proposed 'Sarvodaya' in place of 'Socialistic'. Sarvodaya contains Gandhiji's message.

खण्ड 1

श्री शान्ति भूषण: मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में 'Forty-fifth' (पैंतालिसवां) के स्थान पर 'Forty-fourth' (44 वां) प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय: अब मैं खण्ड 2 के अंतर्गत संशोधन संख्या 1, 12, 33, 34, 52, 53, 96, और 104 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

श्री ए० के० राय (धनवाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने नियमानुसार सभी खण्डों पर चर्चा करा ली है। परन्तु मतदान के समय सदस्य कैसे याद रख सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार ही प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 113 और 114 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

संशोधन संख्या 127 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 139, 161, और 186 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 243 और 249 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

खण्ड 3

अध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं इस मतदान के लिये रखूं, मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपना नियत स्थान ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है: पृष्ठ 1 और 2 पंक्ति 17 से 20 और 1 से 30 के स्थान पर क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाये।

(क) खण्ड (3) में से उपखण्ड (ख) निकाल दिया जाये।

(ख) खण्ड (4), (5), (6) और 7 निकाल दिये जाये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	48
विपक्ष में Noes	361

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was negatived.

संशोधन संख्या 35, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 54 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 81 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 82 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 89, 90, 105 तथा 162 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
Amendment No. 89, 90, 105 and 162 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 170. श्री महालगी ।

श्री आर० के० महालगी (थाना) : मैं जोर नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की स्वीकृति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधक संख्या 208 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 231 श्री विनायक प्रसाद यादव ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं जोर नहीं दे रहा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है।

माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 235. श्री कंवर लाल गुप्त ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं जोर नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी क्या आप अपना संशोधन संख्या 257 वापस ले रहे हैं ?

श्री राम जेठमलानी : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर मत विभाजन करेंगे । प्रश्न यह है :—

"पृष्ठ 2, पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(c) after clause (7), the following clause shall be insertd, namely:—

(8) Notwithstanding anything contained in the Constitution, no law providing for preventive detention shall operate in respect of any citizen of India except during the period when a Proclamation of Emergency is in operation."

(ग) खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(8) संविधान में किसी बात के होते हुए भी भारत के किसी नागरिक के बारे में निवारक निरोध का उपबन्ध करने वाली कोई विधि, उस कालावधि को छोड़कर जिसके दौरान आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, प्रवर्तित नहीं होगी ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 51	**विपक्ष में** : 359
Ayes	Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 278 श्री हरि विष्णु कामत । क्या आप इस पर जोर दे रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस पर जोर दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 1 में क्रमशः

"Two months" "(दो महीने)" के स्थान पर

"One month" "(एक महीना)" प्रति स्थापित किया जाये

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 55	**विपक्ष में** : 342
Ayes	Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती पार्वती कृष्णन् का संशोधन संख्या 288 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 288 was put and negatived.

खण्ड 4

Clause 4

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 36 श्री बापू साहिब परुलेकर क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री बापू साहिब परुलेकर : नहीं जी, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ए० के० राय का संशोधन संख्या 55 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The aamendment No. 55 was out and negatived.

अध्यक्ष महोदय : श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 83, 84 तथा 85 हैं।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : में जोर नहीं दे रहा हूं। मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 83, 84 तथा 85 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

The amendment Nos. 83, 34 and 85 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 236. श्री कंवर लाल गुप्त।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 3321 डा० रामजी सिंह।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 332 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 332 was by leave, withdrawn.

खण्ड 5

Clause 5

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 56 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 338 डा० रामजी सिंह।

डा० रामजीसिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : खड 6 में कोई संशोधन नहीं है।

खण्ड 7

Clause 7

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बी० सी० काम्बले क. संशोधन संख्या 326 तथा 333 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 326 and 337 were put and negatived.

खण्ड 8

Clause 8

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ए० के० राय का संशोधन संख्या 57 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 57 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री द.जीबा देसाई का संशोधन संख्या सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:—

पृष्ट 3 में

6 से 9 पंक्तियों का लोप किया जाय।

सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 101 **विपक्ष में** : 300

Ayes Noes

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री टमखन लाल कपूर का संशोधन संख्या 140 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: अब हम संशोधन संख्या 163 को लेंगे।

श्री युवराज : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य: जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्रीमति पार्वती कृष्णन् क्या आप अपने संशोधन संख्या 232 पर जोर दे रही हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 232 सभा के मतादान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री काम्बले के संशोधन संख्या 328 और 329 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

A mendments No. 328 and 329 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ए० के० राय का संशोधन संख्या 58 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 58 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री काम्बले का संशोधन संख्या 59 सभा के मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 के अंत में

"and restrict it within the limit of 1:10 within the period of one year"

"(और एक वर्ष की अवधि के भीतर इसे 1:10 के न्यूनतम अनुपात में ले आयेगा)" जोड़िये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 20	विपक्ष में 345
Ayes 20	Noes 345

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 106 तथा 211 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 106 and 211 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हरि विष्णु कामत का संशोधन संख्या 281 है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment was, by leave, withdrawn

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 289 वापस लेना चाहता हूं ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 330 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 330 was put and negatived.

खण्ड 10

अध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 60, 61 और 62 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 60, 61 and 62 were put and negatived.

खण्ड 11

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 63, 154 और 155 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 63, 154 and 155 were put and negatived.

श्री आर० के० महालगी : मैं अपना संशोधन संख्या 173 वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment was, by leave, withdrawn

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन संख्या 182 वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 238 पर जोर नहीं दे रहा हूं और इसे वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 276 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

एक माननीय सदस्य : यह स्वीकार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं नियम 367 के अनुसार चल रहा हूं। ऐसे मामले में मतदाताओं के नाम रिकार्ड नहीं होते। जो सदस्य संशोधन के पक्ष में हैं, वे खड़े हो जायें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इसके विपक्ष में हैं, वे खड़े हो जायें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : यह अस्वीकृत हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या 283 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम देव नारायण यादव क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

Shri Hukmdeo Narain Yadav : I want to withdraw my amendment.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 331 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर क्या आप अपने संशोधन संख्या 340 पर जोर दे रहे हैं।

श्री पी०जी० मावलंकर : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

खंड 13

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 64 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

कुछ माननीय सदस्यों ने पक्ष में मत दिया।

कुछ माननीय सदस्यों ने विपक्ष में मत दिया।

कुछ माननीय सदस्य : यह स्वीकृत हो गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 8 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"13(1) in article 83 of the Constitution, in clause(1) for the words "one third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year", the words "one fifth of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every one year" shall be substituted, and in clause (2), for the words "six years" in both the places where they occur the words "five years" shall be substituted."

"13(1) संविधान के अनुच्छेद 83 के खण्ड (1) में "किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई, संसद-निर्मित बिधि द्वारा बनाए गए तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे" शब्दों के स्थान पर "किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक-पांचवें, संसद्-निर्मित विधि द्वारा बनाए गए तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक एक वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे" शब्द रखे जायेंगे और खण्ड (2) में "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "पांच वर्ष" शब्द रखे जायेंगे।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 5	विपक्ष में 350
Ayes 5	Noes 350

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 312 श्री सुशील कुमार धारा ।

श्री सुशील कुमार धारा : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The amendment was, by leave, withdrawn

खंड 14

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 40 तथा 41 श्री परूलेकर।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य: जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए
The amendments were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 65 श्री ए० के० राय का है ।

श्री ए० के० राय : मैं जोर नहीं दे रहा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या 164 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 251 श्री विनायक प्रसाद यादव:

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा हूं।

संशोधन संख्या 251, 291, 313 तथा 314 सभा की अनुमति से वापस लिये गए ।
The amendment Nos. 251, 291, 313 and 314 were, by leave, withdrawn.

खण्ड 15

संशोधन संख्या 66 तथा 98 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 66 and 98 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :—

205 पृष्ठ 4, पंक्ति 31—

चवालीसवां (Forty fourth) के स्थान पर पैंतालीसवां (Forty fifth) प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

संशोधन संख्या 239 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 239 was put and negatived.

संशोधन संख्या 260 और 42 सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।
The amendment Nos. 260 and 42 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 107 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 107 was put and negatived.

संशोधन संख्या 174, 261 और 361 सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।
The amendment Nos. 174, 261 and 361 were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि उच्चतम न्यायालय उक्त विधि-प्रश्न का अवधारण करने के बाद ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित इस प्रकार मंगाये मामले को उस उच्च न्यायालय को, जिससे मामला इस प्रकार मंगा लिया गया हो, लौटा सकेगा तथा उसके प्राप्त होने पर उक्त उच्च न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते हुए उस मामले को निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

Provided that the Supreme Court may after determining the said question of law return any case so withdrawn together with a copy of its judgement on such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgement." (366)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

पृष्ठ—5, पंक्ति 33,—

"कि सहमति से" के स्थान पर "की सलाह से" प्रतिस्थापित किया जाये । (149)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

संशोधन संख्या 43, 44, 120 और 362 सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।
The amendment Nos. 43, 44, 120 and 362 were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

पृष्ठ—6, पंक्ति 39,—

"पैंतालीसवां" (Forty fifth) के स्थान पर "चवालिसवां" (Forty fourth) प्रतिस्थापित किया जाये। (206)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

संशोधन संख्या 262 और 363 सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।
The amendment Nos. 262, and 363 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 71 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 71 was put and negatived.

संशोधन सं० 183 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment No. 183 was , by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 226 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 226 was put and negatived.

संशोधन संख्या 241, 284, 285, 317, 398, 410 और 411 सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।
The amendment Nos. 241, 284, 285, 317, 398, 410 and 411 were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है —

पृष्ठ 8, पंक्ति 24,—

"के बिना" के पश्चात "तथा लोक प्रयोजन और सामाजिक भलाई के सिवाय" अन्तःस्थापित किया जाये । (411)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 14	विपक्ष में 300
Ayes 14	Noes 300

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

खण्ड 38

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"पृष्ठ 8 और 9,—

पंक्ति 31 से 33 और 1 से 8 क्रमशः, के स्थान पर

1(ए) खण्ड (1) में, शब्द "या आभ्यांतरिक अशांति" निकाला जायगा । प्रतिस्थापित होगा" (14)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 117	विपक्ष में 277
Ayes 117	Noes 277

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was negatived.

संशोधन संख्या 45 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment No. 45 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 32 और 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

1(i) 1 आभ्यांतरिक अशांति शब्दों का लोप किया जायेगा । (99)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 73	विपक्ष में 261
Ayes 73	Noes 261

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was negatived.

संशोधन संख्या 142,143 और 144 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।
Amendment No. 142, 143 and 144 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the chair

संशोधन संख्या 156,157,165,166,175,242,252,286,287,294,295,296,302,308,319, 320,321,342,349,383, और 384 सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।

The amendments Nos. 156, 157, 165, 166, 175, 242, 252, 286, 287, 294, 295, 296, 302, 308, 319, 320, 321, 342, 349, 383, and 384 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 389 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 389 was put and negatived.

संशोधन संख्या 390 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment No. 390 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 412 से 415 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendment No. 412 to 415 were put and negatived.

संशोधन संख्या 423 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 423 was, by leave, withdrawn.

खण्ड 39

संशोधन संख्या 16 से 19, 193 से 195, 309 और 305 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendment No. 16 to 19, 193 to 195, 309 and 305 were put and negatived.

संशोधन संख्या 351,352,353 और 354 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendment No. 351, 352, 353 and 354 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 374 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 374 was put and negatived.

संशोधन संख्या 416 और 418 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendment No. 416 and 418 were, by leave, withdrawn.

खण्ड 40

संशोधन संख्या 20 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 20 was put and negatived.

संशोधन संख्या 355 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 355 was, by leave, withdrawn.

खण्ड 41

संशोधन संख्या 21 और 50 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendment No. 21 and 50 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"पृष्ठ 11, पंक्ति 39,--

"अनुच्छेद 21" (article 21) के स्थान पर "अनुच्छेद 20 और 21" (article 20 and 21) प्रतिस्थापित किया जाये। (425

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

संशोधन संख्या 426, 22 और 403 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendment No. 426, 22 and 403 were put and negatived.

खण्ड 43

संशोधन संख्या 51 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 51 was put and negatived.

संशोधन संख्या 176 और 399 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendments Nos. 176 and 399 were, by leave, withdrawn.

खण्ड 44

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 23 was put and negatived.

संशोधन संख्या 31, 32 और 86 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendments Nos. 31, 32, 86 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 200, 201, 253, 254, 310, 311, 343, 404 और 409 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments Nos. 200, 201, 253, 254, 310, 311, 343, 404 and 409 were put and negatived.

संशोधन संख्या 420 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 420 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 419 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 419 was put and negatived.

खण्ड 45

संशोधन संख्या 10, 11, 24, 25, 46 और 47 मतदान के लिए रखे गये, और अस्वीकृत हुए
The amendment No. 10, 11 , 24, 25, 46 and 47 were put and negatived.

संशोधन संख्या 87 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 87 was, by leave, withdrawn.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(Mr. Speaker in the chair)

संशोधन संख्या 110, 150, 151, 185, और 202 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments No. 110, 150, 151, 185 and 202 were put and negatived.

संशोधन संख्या 243, 244 और 245 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendments No. 243, 244 and 245 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 255, 277, 297, 298 और 299 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments No. 255, 277, 297, 298 and 299 were put and negatived.

संशोधन संख्या 346, 347 और 356 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendments Nos. 346, 347 and 356 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 357 और 377 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments Nos. 357 and 377 were put and negatived.

संशोधन संख्या 385 और 387 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendment No. 385 and 387 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 392, 397 और 405 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos. 392, 397 and 405 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 13, पंक्ति 14,—

"परन्तु यह और कि यदि संशोधन" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये—

"परन्तु यह और कि निम्नलिखित आधारभूत बातों का उपबन्ध करने वाले संविधान के अनुच्छेद किसी ऐसे संशोधन के अध्यधीन नहीं होंगे जो—" (421)

पृष्ठ 13 और 14—

क्रमशः 27 से 47 और 1 से 4 तक की पंक्तियों का लोप कर दिया जाये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 6 विपक्ष में 320
Ayes 6 Noes 320

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

संशोधन संख्या 428 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment No. 428 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 427 के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 427 was put and negatived.

खण्ड 47

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

पृष्ठ 14, 20 से 24 तक की पंक्तियों का लोप कर दिया जाये (8)

लोक सभा में मतविभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 101 विपक्ष में 293
Ayes 101 Noes 293

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment was negatived.

संशोधन संख्या 26 और 27 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos. 26 and 27 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 14,—

40 से 42 तक की पंक्तियों का लोप कर दिया जाये । (103)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 76	विपक्ष में 277
Ayes 76	Noes 277

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"पृष्ठ 14,—

25 से 27 तक की पंक्तियों का लोपकर दिया जाये।" (152)

"पृष्ठ 14,—

पंक्ति 39 का लोप कर दिया जाये। (153)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 62	विपक्ष में 289
Ayes 62	Noes 289

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 14,—

20 से 27 तक की पंक्तियों का लोप कर दिया जाय

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 60	विपक्ष में 255
Ayes 60	Noes 255

प्रास्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

संशोधन संख्या 180 और 360 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए
The amendments Nos. 180 and 360 were put and negatived.

संशोधन संख्या 370 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment No. 370 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 378 और 28 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए
The amendments Nos. 387 and 28 were put and negatived.

संशोधन संख्या 266 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment No. 266 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 234 और 371 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए
The amendments Nos. 234 and 371 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है--

पृष्ठ 1, पंक्ति 3--

"पैंतालीसवां" (forty-fifth) के स्थान पर 'चवालीसवां' (forty-fourth) **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (204)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि खण्ड-2 विधेयक का अंग है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 379 Ayes 379	विपक्ष में 11 Noes 11

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 388 Ayes 388	विपक्ष में 7 Noes 7

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 8

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 324 Ayes 324	विपक्ष में 61 Noes 61

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
Motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 386	**विपक्ष में 8**
Ayes 386	Noes 8

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
Motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 11 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 375	**विपक्ष में 005**
Ayes 375	Noes 005

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब खंड 35 पर मतदान होगा ।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 35 विधेयक का अंग बने"

अब लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम संख्या 367 कक के अनुरूप 'पक्ष में' तथा 'विपक्ष में' पर्चियों का वितरण होगा । प्रत्येक सदस्य को एक एक पर्ची दी जाएगी जो दोनों ओर से छपी होगी । हरी स्याही से छपा हुआ तरफ 'पक्ष में' मत देने के लिए तथा लाल

स्याही से छपा हुआ तरफ 'विपक्ष में' मत देने के लिए होगा । सदस्य पर्ची पर अपने हस्ताक्षर तथा डिवीजन संख्या दे दें ।

Shri Raj Narain (Raibareli) : I rise in a point of order. Electors have full right to know whether his representative has voted for or against the Bill. Your machine is out of order. Voting can be postponed for tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : पर्चियां पहले ही बांटी जा चुकी हैं । आज मशीन पर एक बार बैलट हो सकता है । बाकी काम कल होगा । कल का प्रश्नकाल आगामी बुधवार को होगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आज हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे । मेरा सुझाव है कि इस खंड को कल लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सदन के नेता एवं संसदीय कार्य मंत्री यह चाहते हैं कि मतदान कल हो । क्या सदन ऐसा चाहता है ।

माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : कल के लिए रखा गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मतदान के बाद लिया जाएगा ।

बोनस के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE BONUS

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : न्यूनतम बोनस जो कि आपातकाल से पहले श्रमिकों को प्राप्त होता था, पुनः देने की मांग आपातकाल में की गई ज्यादतियों को ठीक करने की स्वाभाविक मांग के परिणामस्वरूप सामने आई । पिछले साल अगस्त में यह निर्णय किया गया कि लेखा वर्ष 1976 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस पुनः दिया जाय, बशर्ते कि यह बोनस संदाय अधिनियम के उन उपबन्धों के अनुरूप हो जिनमें सरकार को सीमांत तथा रुग्ण एककों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है ।

2. उसके बाद विभिन्न पक्षों से बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में कुछ संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इनमें धारा 34 के मूल उपबन्धों का पुनः स्थापन, धारा 34 का पूर्ण विलोपन, 1977 के संशोधन को अधिनियम में स्थाई रूप देना, अधिनियम को नए क्षेत्रों में लागू करना और बोनस की संगणना के फार्मूले में परिवर्तन करना शामिल है । कुछ प्रस्ताव इस आशय के भी प्राप्त हुए हैं कि समस्त बोनस या उसके एक भाग को सेवानिवृत्ति लाभ, बेरोजगारी सहायता आदि में बदल दिया जाए । सरकार का विचार है कि इन प्रस्तावों का गहन अध्ययन किया जाए और अधिनियम में स्थाई परिवर्तन करने से पहले सम्बन्धित पक्षों से परामर्श किया जाए ।

3. इस बीच, त्यौहारों का मौसम शुरू होने के कारण यह निर्णय किया गया है कि एक और वर्ष के लिए यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाय । तदनुसार, 1977 के संशोधी अधिनियम में निर्धारित बोनस की अदायगी के पैटर्न को जारी रखने की कार्यवाही की जा रही है । अर्थात् वर्ष 1977 में किसी भी दिन से लेखा वर्ष शुरु होने के संबंध में लाभ को ध्यान में रखे बिना 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस दिया जाए ।

इसके बाद लोक सभा बुधवार, 23 अगस्त, 1978/1 भाद्र, 1900 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday the 23rd August 1978/1 Bhadra, 1900 (Saka)

MGIPRRND—V—32 LSS/78—7-11-78—210